निगरानी प्र. क्र. 140-IV/1997

(187)

रा०रा० सदस्य महोदय, राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

मुन्नालाल पिता टेकाजी

निग. 140-IV/97.

निवासी-ग्राम बांगला तह. व जिला-धार ---- प्रार्थी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपर आयुक्त
इंदौर संभाग, इंदौर

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता 1959

श्रीमान्,

अपर आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. निगरानी 507/95-96 में दिनांक 30.12.96 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :--

(अ) // निगरानी के आधार //

(1) यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये यह निर्णय देने में गंभीर भूल की है कि जिस प्रयोजन के लिये (वृक्षारोपण) प्रार्थी पट्टा दिया गया था उस प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण भूमि पर वृक्षारोपण किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष की वृक्षारोपण नहीं किया गया है त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि, प्रार्थी को पट्टा देने के उपरांत उस पर प्रार्थी के द्वारा वृक्षारोपण किये जाने के पश्चात् उक्त पट्टे को स्वयमेव निरीक्षण में निरस्त नहीं किया जा सकता है यह माननीय राजस्व मंडल द्वारा ही 1996 राजस्व निर्णय में अवधारित किया गया है । इस स्पष्ट वैधानिक स्थिति के विपरीत प्रार्थी का पट्टा निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल हुई है ।

(3) यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टे की कार्यवाही को स्वप्रेरणा में [illegible]रानी में लेकर निरस्त करने की कार्यवाही [illegible] भू. रा[illegible] के प्रावधानों के विपरीत [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 140-चार/1997 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदकपक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अत: प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । अध्यक्ष	